बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–11 / 2020 287 / पटना, दिनांकः– 13/12/2021

आदेश

श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मसौढ़ी, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1242 / स्था० दिनांक–03.06.2020 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1559 दिनांक–15.07.2020 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–05.10.2020 के समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–172 सहपठित ज्ञापांक–2248 दिनांक–22.12.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री संदीप कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग (अवचार या कदाचार के लांछनो का सार) में निम्न् आरोप गठित किये गये :–

(i) श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–07.07.2014 से 09.07.2014 तक बिना अवकाश आवेदन एवं सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के अपने पदस्थापन कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। तत्संबंधी अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी के पत्रांक–472 / सी० दिनांक–09.07.2014 द्वारा जिलाधिकारी, पटना को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी को प्रभार हेतु अनुशंसा की गयी, जिसके आलोक में जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक–7012 / गो०, दिनांक–09.07. 2014 एवं ज्ञापांक–7186 / गो०, दिनांक–14.07.2014 द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण की मॉग किया गया। इसी क्रम में पुनः अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के ज्ञापांक–870 दिनांक–11.07.2014 द्वारा जिलाधिकारी, पटना को संबोधित पत्र के माध्यम से श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–16.07.2014 तक अवकाश अवधि विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे जिलाधिकारी द्वारा जिला गोपनीय शाखा के ज्ञापांक–7283 दिनांक–17.07.2014 द्वारा अवकाश आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मॉग किया गया। पुनः अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के ज्ञापांक–908 दिनांक–17.07.2014 द्वारा जिलाधिकारी, पटना को संबोधित पत्र के माध्यम से श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–22.07.2014 तक अवकाश अवधि विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे जिलाधिकारी द्वारा जिला गोपनीय शाखा के ज्ञापांक–7447 दिनांक–21.07.2014 द्वारा अवकाश आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया गया। पुनः श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–14.08.2014 तक अवकाश अवधि विस्तारित करने हेतु अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के ज्ञापांक–910 दिनांक–23.07.2014 द्वारा जिलाधिकारी, पटना से अनुरोध किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति / अवकाश स्वीकृति के दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे एवं अवकाश आवेदन पत्र की अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बावजूद मनमानीपूर्ण रवैया अपनाते हुए अवकाश अवधि विस्तार का आवेदन कार्यालय के माध्यम से उच्चाधिकारियों को

13/12

दी जाती रही। श्री कुमार का यह आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्य में लापरवाही का द्योतक है।

(ii) श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–959 दिनांक–08.08.2014 द्वारा दिनांक–08.08.2014 को पूर्वाह्न से अंचल कार्यालय में योगदान करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी से योगदान स्वीकृत हेतु अनुरोध किया गया। जबकि श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक– 14.08.2014 तक अवकाश अवधि विस्तार हेतु वरीय पदाधिकारियों को आवेदन पत्र समर्पित किया गया था। परन्तु इसी क्रम में इनके द्वारा दिनांक–08.08.2014 को कार्यालय में योगदान करते हुए बिना सक्षम पदाधिकारी के स्तर से योगदान स्वीकृति एवं अनुमति की प्रतीक्षा किये बगैर अंचल कार्यालय में वित्तीय कार्यो का निष्पादन किया गया। रोकड़ पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक–11.07.2014, 12.07.2014 एवं 15.07.2014 की तिथि में financial transaction को दिनांक–08.08.2014 की तिथि में हस्ताक्षरित किया गया है। जबकि इनके द्वारा दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि में अन्य किसी तरह का कार्यालय कार्य सम्पादन नहीं किया गया है। साथ ही श्री कुमार द्वारा दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का वेतन निकासी, विपत्रा संख्या–24/15–16, T.V.No.-P-20290007 दिनांक–10.08.2015 द्वारा कर लिया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता को द्योतक है।

उक्त वर्णित कंडिकावार आरोपों से स्पष्ट है कि श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

श्री संदीप कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र के तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनो का अभिकथन में निम्न् आरोप गठित किये गये :–

(i) आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के विरूद्ध दायर परिवाद पत्रा की सुनवाई के क्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक–1568/स्था०, दिनांक–13.08.2018 द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनुपस्थिति अवधि का वेतन निकासी किये जाने तथा दिनांक–22.09.2014 तक निलंबन रहने एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जाँच जिला स्तरीय गठित त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा कराया गया। संयुक्त जाँच दल द्वारा पूरे मामलों की जॉचोपरान्त विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 667/अनु० पटना, दिनांक–27.08.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संयुक्त जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्रांक–472 दिनांक–09.07.2014 द्वारा जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के दैनिक रूटिन कार्यो के निष्पादन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी को प्रभारी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया था, जिसकी प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी को भी अग्रसारित थी। पुनः तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा लगातार एक माह तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्रांक–582 दिनांक–11.09.2014 द्वारा अंचल कार्यालय, मसौढ़ी में दैनिक रूटिन कार्यो के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी को प्रभार देने हेतु जिलाधिकारी, पटना से अनुरोध किया गया।

जाँच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा प्रभारी अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के रूप में दिनांक–10.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक एवं दिनांक–11.09.2014 से 22.09.2014 तक अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के दैनिक रूटिन कार्यो का निष्पादन किया गया है। इस अवधि में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा किसी तरह का राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्यो का निष्पादन नहीं किया गया है। यद्यपि अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के ज्ञापांक–582 दिनांक–11.09.2014 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा सामान्य रोकड़ पंजी पृष्ठ पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया जाना तथ्य अंकित किया गया है। परन्तु इनके द्वारा दिनांक–25.08.2014 को अंचल कार्यालय कर्मियों की वेतन निकासी हेतु वेतन विपत्र पर हस्ताक्षरित किया गया है। संयुक्त जॉच दल द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के प्रभारी अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के रूप में कार्य करने की अवधि को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है।

तद्आलोक में जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक–1647/स्था०, दिनांक–27.08.2018 द्वारा दिनांक–07.07.2014 से 22.09.2014 तक की अवधि में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा प्रभारी अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के रूप में निष्पादित किये गये कार्यो की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ii) संयुक्त जाँच दल द्वारा जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी दिनांक–07.07.2014 से 09.07.2014 तक बिना किसी अवकाश आवेदन तथा सक्षम पदाधिकारी के आदेश के ही कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। पुनः इनके द्वारा दिनांक–07.07.2014 के पश्चात कार्यालय में योगदान नहीं कर अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के ज्ञापांक–870 दिनांक–11.07.2014, ज्ञापांक–908 दिनांक–17.07.2014 एवं ज्ञापांक–910 दिनांक–23.07.2014 द्वारा वरीय पदाधिकारियों से अवकाश अवधि विस्तार हेतु अनुरोध आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाता रहा है। इनके द्वारा अग्रसारित अवकाश अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदन पत्र को जिलाधिकारी, पटना द्वारा अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। बावजूद श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहे। श्री कुमार का यह कृत्य अनुशासहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्य में लापरवाही का द्योतक है।

(iii) श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा दिनांक–14.08.2014 तक अवकाश अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु इनके द्वारा अंचल कार्यालय, मसौढ़ी में दिनांक–08.08.2014 को योगदान करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी से योगदान स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया। फिर भी इनके द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के स्तर से योगदान स्वीकृति की प्रतीक्षा किये योगदान की तिथि–08.08.2014 को अंचल कार्यालय के दैनिक एवं वित्तीय कार्यो का निष्पादन किया गया। अंचल कार्यालय के रोकड़ पंजी एवं दैनिक पत्राचार से संबंधित अभिलेखों की जॉच के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा अनुपस्थिति अवधि दिनांक–11.07.2014, 12.07.2014 एवं 15.07.2014 की तिथियों मे वित्तीय Transaction को रोकड़ पंजी में 08.08.2014 की तिथि में हस्ताक्षरित किया गया है। श्री कुमार द्वारा दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक के अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का वेतन निकासी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के विपत्र संख्या–24/15–16. T.V. No.-P-20290007 दिनांक–10.08.2015 द्वारा कर ली गयी है। श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(iv) जाँच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि श्री संदीप कुमार (कनीय सांख्यिकी सहायक) संप्रति तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) बिहार, पटना के का०आ०सं०–161 सहपठित ज्ञापांक–869

दिनांक–25.06.2014 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित की गयी थी तथा निलंबन अवधि में इन्हें मात्र जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय हेतु अनुमति प्रदान किया गया था। पुनश्चः श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–192 ज्ञापांक–1073 दिनांक–27.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। संयुक्त जॉच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा निलंबन से संबंधित कार्रवाई को छुपाने एवं वरीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने की मंशा से दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे एवं पुनः निलंबन अवधि में हीं इनके द्वारा अंचल कार्यालय, मसौढ़ी में दिनांक–08.08.2014 को योगदान कर कार्यालय कार्यो का निष्पादन किया गया। पुनः इनके द्वारा दिनांक–13.08.2014 को निलंबन अवधि में जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर में योगदान हेतु प्रस्थान करने की सूचना दी गयी। तत्संबंधी विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–233 सहपठित ज्ञापांक–1440 दिनांक–18.09.2014 द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी को निलंबन से मुक्त करते हुए आदेश दिया गया कि निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन आदि के भुगतान पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के बाद निर्णय लिया जाएगा। उक्त के आलोक में श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा निलंबनादेश से मुक्त होने के उपरांत अंचल कार्यालय, मसौढ़ी में दिनांक–23.09.2014 को बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के स्वतः प्रभार ग्रहण करते हुए योगदान दिया गया।

उक्त प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–1559 दिनांक–15.07.2020 द्वारा गठित आरोप पत्र पर श्री संदीप कुमार से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। श्री संदीप कुमार ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में कहा है कि दिनांक–11.07.2014,12.07.2014 एवं 15.07.2014 की तिथि में वित्तीय Transaction को रोकड़पंजी में दिनांक–08.08.2014 को उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, क्योंकि उक्त अवधि में वित्तीय प्रभार किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी को नहीं दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा कहा गया है कि दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक के वेतनादि की निकासी का मामला है वह वास्तव में निलंबन अवधि से संबंधित है और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(3) एवं 11(5) के आलोक में एवं पदस्थापन मसौढ़ी में रह जाने के कारण वेतनादि की निकासी की गयी है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित यह तथ्य संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त कार्य श्री कुमार के द्वारा सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना किया गया है जो नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है एवं वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामला प्रतीत होता है।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–113 दिनांक–08.04.2021 द्वारा श्री संदीप कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है :–

"संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन एवं परीक्षण से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति/अवकाश स्वीकृति के दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे एवं अवकाश आवेदन पत्र की अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बावजूद मनमानीपूर्ण रवैया अपनाते हुए अवकाश अवधि विस्तार का आवेदन कार्यालय के माध्यम से उच्चाधिकारियों को देते रहे। आरोपी दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तो किस परिस्थिति में दिनांक–11.07.2014, 12.07.2014, 15.07.2014 को Financial Transaction किया गया तथा दिनांक–08.08.2014 को Cash Book में प्रविष्टि की गयी है। दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के पश्चात् सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के बिना दिनांक–08.08.2014 को योगदान कर आरोपी द्वारा कार्य का सम्पादन प्रारंभ कर दिया गया। आरोपी द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित

अवधि 07.07.2014 से 07.08.2014 तक के वेतन की निकासी सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के बिना कर ली गयी। योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा ज्ञापांक–869 दिनांक–25.06.2014 से आरोपी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस तथ्य को भी आरोपी द्वारा छुपाकर अंचल अधिकारी, मसौढ़ी का कार्य सम्पादित किया गया। आरोपी का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

आरोपी पर आरोप पत्र में गठित आरोप संख्या–01 से 02 (द्वितीय भाग) एवं 01 से 04 (तृतीय भाग) प्रमाणित होते हैं।"

3. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री संदीप कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित होने के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री संदीप कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

श्री संदीप कुमार ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) वे काफी बीमार थे और स्पष्टीकरण की जानकारी उन्हें नहीं हुई थी। उक्त अवधि में वे काफी अस्वस्थ रहे जिसकी सूचना उनके द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य के साथ वरीय पदाधिकारियों को दी जाती रही थी। अवकाश आवेदन अस्वीकृत किये जाने की सूचना भी उन्हें तत्समय नहीं थी, क्योंकि वे काफी अस्वस्थ थे। बगैर चिकित्सीय जाँच दल गठित किये उनके आवेदन को अस्वीकार किया जाना भी न्यायपूर्ण/विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। यदि वे अस्वस्थ नहीं हुए होते तो अवकाश पर जाने का भी प्रश्न नहीं रहता।

(ii) **(क)** दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक वे गंभीर रूप से अस्वस्थ रहे थे। उक्त अवधि में ही समाहर्त्ता, पटना द्वारा अनुपस्थिति के कारण उनसे कारणपृच्छा के साथ–साथ स्मार पत्र भी निर्गत किया गया। फलस्वरूप स्वास्थ्य में आंशिक सुधार के पश्चात् पदाधिकारियों की चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक–08.08.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के समक्ष वे योगदान दिये। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा उसे स्वीकार करते हुए कार्यालय का सरकारी वाहन वापस करते हुए लंबित कार्यो का अविलंब निष्पादन करने का निदेश दिया गया। अवकाश विस्तार हेतु आवेदित तिथि–14.08.2014 के पूर्व ही दिनांक–08.08.2014 को योगदान देने का कारण स्वास्थ्य में आंशिक सुधार एवं दूरभाष पर योगदान करने हेतु प्राप्त हो रहे निरन्तर आदेश थे। इसमें नियम भंग होने जैसी कोई बात नहीं थी।

(ख) दिनांक–11.07.2014, 12.07.2014 एवं 15.07.2014 की तिथि में financial transaction को उनके द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने का कारण यह था कि उक्त तिथियों में वे अवकाश पर थे और योगदान करने के उपरांत उस पर हस्ताक्षर किये गये। उक्त तिथियों में किसी भी पदाधिकारी को वित्तीय प्रभार का आदेश निर्गत नहीं था। अतः उनके द्वारा जाँचोपरान्त प्रस्तुत रोकड़–बही पर हस्ताक्षर किया गया। उनके कारण उक्त अवधि में कोई विपत्र पारित नहीं किया गया था।

(ग) वे दिनांक–07.07.2014 से 07.08.2014 तक गंभीर रूप से बीमार रहने के कारण चिकित्सीय साक्ष्य के साथ आवेदन कर चिकित्सक के परामर्श पर पूर्ण विश्राम में थे। उक्त अवधि में वे निलंबित भी थे उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। वस्तुतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा का०आ०सं०–161 सहपठित ज्ञापांक–869 दिनांक– 25.06.2014 के तहत उन्हें निलंबित किया गया और का०आ०सं०–233 सहपठित ज्ञापांक–1440 दिनांक–18.09.2014 के तहत निलंबन से मुक्त किया गया। उक्त निलंबन आदेश की जानकारी उन्हें बहुत बाद में मिली। निदेशालय के का०आ०सं०–78 सहपठित ज्ञापांक– 468 दिनांक–13.04.2015 द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि संदीप कुमार के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप कदाचार/गबन, अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं उपर्युक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि इनके विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इनके विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के प्रावधानों के अनुसार उनका निलंबन अनुचित था।

दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 की अवधि के वेतनादि की निकासी पर किसी भी सक्षम पदधिकारी द्वारा रोक नहीं लगायी थी। वेतन निकासी हेतु विपत्र तैयार करने के पूर्व उनके द्वारा अंचल कार्यालय के पत्रांक–734 दिनांक–20.06.2015 के माध्यम से निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को पूर्व सूचना उपलब्ध कराकर वेतन निकासी की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(3) एवं 11(4) के प्रावधानों से संगत थी। अतः निलंबन अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि बताकर वेतन निकासी को गलत बताया जाना न्यायोचित एवं नियमसंगत नहीं कहा जा सकता है।

4. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट, संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप पर आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी सम्यक् समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित हुए :–

(i) निदेशालय के का०आ०सं०–161 सहपठित ज्ञापांक–869 दिनांक–25.06.2014 द्वारा निलंबित किये जाने के बाद श्री संदीप कुमार द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर में दिनांक–12.08.2014 को योगदान दिया गया। निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 233 दिनांक 18.09.2014 द्वारा इन्हें निलबंन से मुक्त किया गया। इस प्रकार श्री संदीप कुमार दिनांक–25.06.2014 से 17.09.2014 तक निलंबित रहे। निलंबन के तथ्य को छुपाते हुए अंचल अधिकारी के रूप में कार्यो का निष्पादन किया गया साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी, पटना) को भ्रमित करने के उद्देश्य से बिमारी का बहाना बना कर अवकाश आवेदन समर्पित कर अवकाश पर रहे तथा विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से अवकाश विस्तारित भी करते रहे। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) विरूद्ध है।

ये अंचल कार्यालय मसौढ़ी से दिनांक–07.07.2014 से दिनांक–07.08.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अवधि के दिनांक–11.07.2014, 12.07.2014 एवं 15.07.2014 को इनके द्वारा Financial Transaction किया गया तथा दिनांक–08.08.2014 को Cash Book मे प्रविष्टि किया गया। साथ ही निलंबन अवधि का वेतन वगैर अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश के ही स्वेच्छा से निकासी कर लिया गया जो किसी सरकारी पदाधिकारी के लिए गंभीर प्रकृति का आरोप है।

(ii) श्री कुमार के द्वारा वित्तीय नियमों, सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 तथा बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली का प्रत्यक्षतः उल्लंघन करने के बाद फिर CCA Rules के संदर्भित नियमों की अपने अनुकूल व्याख्या कर स्वयं के कृत्य को उचित प्रतिपादित करने की घृष्टता भी की गयी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन्होंने साकाक्ष अवस्था में नियमों की पूर्णतः जानकारी रहते हुए गंभीर वित्तीय अपराध कारित किया है।

श्री कुमार के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निलबंन की जानकारी नहीं होना बताया गया है। जबकि द्वितीय कारण पृच्छा में इन्होनें दिनांक 07.07.2014 से 07.08.2014 तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नकारते हुए खुद को निलंबित बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन्हें सभी बातों की जानकारी थी तथा ये केवल कार्यालय तथा वरीय पदाधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे है। अतः निलंबन के संबंध में इनका यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि इन्हें जानकारी नहीं थी। यह एक स्थापित

तथ्य है कि ignorance of law is no excuseवह भी तब जब श्री कुमार का अवकाश अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

(iii) श्री कुमार स्वयं ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी थे, अतः वित्तीय नियमों का अनुपालन के लिए भी इन्हीं की जबाबदेही थी। इन्हें निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 161 दिनांक 25.06.2014 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया। ये दिनांक 07.07.2014 से कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित हो गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे ही इन्हें निलंबित होने की जानकारी हुई ये बिना किसी अनुमति के कार्यालय से बिमारी का बहाना बना कर अनुपस्थित हो गये तथा दिनांक 07.08.2014 तक अनुपस्थित रहें। अनाधिकृत अनुपस्थिति के मध्य ही इनके द्वारादिनांक–11.07.2014, 12.07.2014 एवं 15.07.2014 को इनके द्वारा Financial Transaction भी किया गया। यह इनके द्वारा बताये गये अस्वथता संबंधी कारण को ही गलत साबित करता है। साथ ही इन्होंने समर्पित अलग–अलग स्पष्टीकरणों में अपनी सुविधानुसार भ्रमित करने के उद्देश्य से कभी स्वयं को निलंबित तो कभी स्वयं को अवकाश में रहना बताया है। इन्होने निलंबन अवधि के समय का वेतन राशि की निकासी बिना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के की गयी, जबकि इनको निलंबन से मुक्त किये जाने संबंधी कार्यालय आदेश संख्या 233 दिनांक 08.09.2014 की कंडिका–2 में स्पष्ट उल्लेख है कि निलबंन अवधि के वेतन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार इनके द्वारा वित्त नियमावली के नियम 9(1)(2)(3) का खुला उल्लंघन किया गया, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। यह आचरण पूर्णतः स्वेच्छाचारिता नियमों की अनदेखी एवं सरकारी सेवा की सुचिता का सीधा अवक्रमण है।

(iv) उक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मसौढ़ी, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना को प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (IX) में किये गये प्रावधान के **तहत आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने संबंधी दण्ड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

13/12/2021

(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांक :–अ०सां०नि०/स्था०17–11/2020 1620/पटना, दिनांक :– 13/12/2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (उनके पत्रांक–1057(15)/रा० दिनांक–24.08.2020 के प्रसंग में)/जिला पदाधिकारी, पटना (उनके पत्रांक–1242/स्था० दिनांक–03.06.2020 के प्रसंग में)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सहायक निदेशक (स्थापना)/सहायक निदेशक–सह–आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मसौढ़ी, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 3/12/2021

"जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

ज्ञापांक :–अ०सां०नि०/स्था०17–11/2020 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 31.12.20

"जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"